राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः– प. 2(4)न्याय / 2014 जयपुर, दिनांक 5 FEB 2015

::अधिसूचना::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, पूर्व में सृजित एवं स्थापित समस्त पारिवारिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार परिवर्तित कर उनकी क्षेत्राधिकारिता महानगर / नगर परिषद् / नगरपालिका सीमाक्षेत्र तक यथा लागू सीमित करती है। साथ ही उक्त सीमा क्षेत्र को छोडकर शेष राजस्व जिला क्षेत्र की पारिवारिक न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकारिता, संबंधित स्थानीय क्षेत्राधिकार वाले जिला न्यायालय / अपर जिला न्यायालय / मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / न्यायिक मजिस्ट्रेट / अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को प्रदान की जाती है।

राज्यपाल के आदेश से,

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल / सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।

क्रमशः 2

2. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।

3. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

5. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।

6. समस्त जिला कलक्टर/जिला एवं सैशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान सरकार।

7. समस्त न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय।

8. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार।

9. शासन सचिव, विधि, राजकीय वादकरण, शासन सचिवालय, जयपुर।

10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

11. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सीडी सहित)

13. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव